राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ 4( ) परावि/पी.सी./हैंप.मि./2006/802 जयपुर,दिनांक 26-4-2007

आदेश

पंचायती राज संस्थाओं के हैण्डपम्प मिस्त्रियों को मकान किराया भत्ता दिये जाने हेतु विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अतिक्रमण में पंचायती राज संस्थाओं के नियमित कर्मचारियों के समान मकान किराया भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह आदेश दिनांक 1.4.2007 से प्रभावी होंगे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 3849 दिनांक 26.4.2007 के अनुसरण में जारी की जाती है।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः- 802 26/4/2007

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री ग्रा.विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, ग्रा. विकास एवं पचांयती राज विभाग
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त
7. रक्षित पत्रावली

शासन सचिव एवं आयुक्त